

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1252/2025

Bheru Lal Son Of Nola,

----Appellant

Versus

Smt. Santosh @ Bhanwari Daughter Of Gangaram,

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री आमिर अजीज

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

21-07-2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विचारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-2, बूंदी द्वारा दीवानी वाद संख्या- 10/2016, श्रीमती संतोष बनाम भैरूलाल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/वादी का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है ।

सुना गया ।

प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस साधारण व पंजीकृत डाक दोनों माध्यम से जारी किए जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

प्रकरण के तथ्यों एवं मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अंतिम डिक्री के क्रम में विधिनुसार कार्यवाही जारी रखने को स्वतंत्र हैं, लेकिन अंतिम डिक्री बनाए जाने के क्रम में आदेश, इस न्यायालय के आदेश से पूर्व पारित नहीं करें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के इस निवेदन पर कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं, उक्त विवाद संपत्ति के बंटवारे का रहा है, इस प्रकरण में निहित विवाद का पक्षकारों के मध्य समझौते के माध्यम से निस्तारण होने

की प्रबल संभावना है, इस प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ को प्रेषित किया जाता है ।

पक्षकारों को दिनांक 04.08.2025 को मध्यस्थता केन्द्र, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

उक्त प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथासमय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J